Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 SHISRRJ | Volume 7 | Issue 5
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (फर्रूखाबाद जिले के विशेष संदर्भ में)

***जितेन्द्र पाठक (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र)**
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, ऑडेन पडरिया, मैनपुरी, उ.प्र.

Article Info

Accepted : 05 Oct 2024
Published : 30 Oct 2024

Publication Issue :
September-October -2024
Volume 7, Issue 5

Page Number : 24-30

शोध सारांश:

प्रस्तुत शोध " असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (फर्रूखाबाद जिले के विशेष संदर्भ में) है। भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चहरदीवारी तक ही सीमित है, परन्तु आदिकाल से ही वे आवश्यकता पड़ने पर पुरूषों से पीछे नहीं रही है। विकसित देशों में महिलाएं पुरुषों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करती रहती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे-जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है। वह पारिवारिक एवं कार्य निष्पादन-व्यवस्था का अभिन्न अंग है। महिलाएं पारिवारिक सीमाओं से बाहर निकलकर व्यवसायिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। व्यवसाय सम्बन्धी कार्यो तथा परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने में प्रायः उन्हें आन्तरिक संवेगात्मक अथवा भावात्मक द्वन्द् का सामना करना पड़ता है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र हैं। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा फर्रूखाबाद जनपद में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक महिलाओं के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को अध्ययन की ईकाई माना गया है।, इन क्षेत्रों में कार्यरत कुल 200 महिलाओं को संगणना पद्धति के आधार चयनित कर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बंधित प्रमुख समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया हैं।

मुख्य शब्दावली : महिला श्रमिक, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि।

परिचय:

देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के कार्यरत महिलाओं के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। कार्यरत महिला न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भावी कर्णधार भी होती हैं और इस आयु में संग्रहीत मूल्यों एवं कौशल के आधार पर व्यक्ति भविष्य में एक खुशहाल परिवार, स्वस्थ समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक योगदान करती हैं। इसी महत्ता के कारण लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा कार्यरत महिलाओं का विकास राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होती है। वैसे तो महिलाओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या से कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन हमारे देश में यह एक ज्वलंत समस्या और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जिसके लिये उनकी अशिक्षा, प्रशिक्षण और दिशा निर्देश का अभाव है। अंततः महिलायें कई तरह के शारीरिक श्रम कार्य जैसे कि भवन निर्माण कार्य में बतौर श्रमिक कार्य करने के लिये विवश होती है, जिसके लिये पढ़ाई और योग्यता की जरूरत नहीं होती है। महिला श्रमिकों के श्रम को कई तत्व प्रभावित करते हैं। जिसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ना स्वाभाविक है। महिला श्रमिकों को कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिसमें कई कठिनाइयाँ आती है। भारतीय समाज में महिला-पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त हैं, फिर भी पढ़ी-लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वयं महिला को खुद को बराबर समझने की मानसिकता बन पाई है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिलाओं का शोषण तथा महिला का नियोजन कायम है। नारियों में समानता की भावना विकसित करने एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। फिर भी भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की आकांक्षाओं को सामाजिक बंधन के कारण साकार रूप नहीं मिल सका है। आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को मानसिक श्रम के अलावा शारीरिक श्रम भी करने को बाध्य होना पड़ता है।

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)**

पूर्व शोध की समीक्षा :-

बनर्जी (1986) ने पाया कि आधे से ज्यादा ग्रामीण शहरी असंगठित क्षेत्र व प्रवासन में घनिष्ठ संबंध होता है एवं नगरी असंगठित क्षेत्र में प्रवासियों की भागीदारी, रायपुर नगर में 54.5 प्रतिशत विशाखापट्टनम में 46 प्रतिशत, अहमदाबाद में 55 प्रतिशत, सम्बलपुर में 61 प्रतिशत एवं कानपुर में 60 प्रतिशत थी। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के नगरों में भी प्रवासियों का प्रतिशत 14 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक पाया गया, आदि ने अनेक अध्ययनों में शहरी असंगठित क्षेत्र के विकास हेतु योगदान पर प्रकाश डाला गया है साथ ही साथ इसे अर्थव्यवस्था के विशेषकर निर्धन या न साधनहीन लोगों के लिए भावी विकास की सम्भावनओं के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। खान (1987) द्वारा शहरी असंगठित क्षेत्र के मानव संसाधन के विकास में योगदान को चित्रित किया गया हैं। जबकि ल्यूबर्न (1990) ने इस क्षेत्र के राष्ट्रीय आय, रोजगार सृजन एवं कौशल संवर्धन संबंधी महत्व को चित्रित किया है। तब भी शहरी असंगठित क्षेत्र में रोजगार का सृजन उत्साहवर्धक था। वर्मन (1976) ने नगरीय असंगठित क्षेत्र को विकास हेतु महत्वपूर्ण माना है। हिटिंग (1986) ने इस क्षेत्र के रोजगार एवं आय सृजन क्षमता के मूल्यांकन का प्रयास किया। अर्निन (1992) का निष्कर्ष था कि आर्थिक गिरावट के काल में शहरी असंगठित क्षेत्र जहां अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वहीं आर्थिक समृद्धि के काल में इस क्षेत्र की रोजगार सृजन की क्षमता काफी बढ जाती है। जबकि इंजिनियर मैनगोइन (1984) ने शहरी असंगठित का अध्ययन विकास आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में किया। ब्रोम्ले और गैरी (1979) का मत है कि शहरीकरण असंगठित क्षेत्र न केवल स्थानीय संसाधनों पर आश्रित होता है वरन् यह अनुपयोगी वस्तुओं के पूर्ण प्रयोग हेतु भी महत्वपूर्ण होता हैं।

उद्देश्य एवं उपयोगिता :-

श्रमिक महिलाओं के शोषण की जिम्मेदारी हमारे समाज की है और यदि समाज उनकी समस्याओं को ध्यान दे, तो यह भी सम्मानपूर्वक, अधिकार पूर्ण जीवन जी सकती है। भारत में अनेक कानूनी प्रावधान है, फिर भी श्रमिक महिलाओं के शोषण की चर्चाएं गोष्ठी एवं पत्र पत्रिकाओं में होती है। महिला श्रमिकों का आर्थिक, शारीरिक शोषण न होने पाये, इसके लिये इतने कानून बने हैं, फिर भी महिलाओं के श्रम शोषण की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, पुरुष श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से श्रमिक महिलायें भी कार्य करती हैं। आजकल भवन निर्माण का कार्य निरन्तर हो रहा है, जिसमें अनेक ग्रामीण महिलायें कार्यरत हैं। श्रमिक महिलाओं को भवन निर्माण जैसे कठिन काय में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिक महिलाओं का शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक, शोषण निरन्तर हो रहा है और इनकी समस्याओं को कोई न सुनने वाला है और न ही समस्याओं का समाधान करने वाला है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया है-

1. महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
2. महिला श्रमिकों को जागरूक कर समाज में बराबरी के दर्जे में खड़ा करना ।
3. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं हेतु सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों की व्याख्या करना।
4. महिला श्रमिकों की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।
5. श्रमिक महिलाओं पर हो रहे शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण का अध्ययन करना।
6.. महिला श्रमिकों के समाज में स्थान का एवं परिवार में स्थान का अध्ययन करना।
7. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं से सम्बन्धित वैधानिक पहलुओं को सामने लाना।
8. महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और समाज में उनकी हैसियत को उठाने के लिये आर्थिक आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में विकसित करना आदि।
9. शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लाभान्वित परिवारों के आर्थिक विकास की दर प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना।
10. शहरी असंगठित क्षेत्र में उद्योगों में कार्यरत महिलओं के लिए चलाई जारी वेल्फेयर की योजनाएँ तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों की विवेचना करना।

अनुसंधान तकनीकें:-

ज्ञान के क्षेत्र में शोधकार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन शोध के द्वारा ही किया जा सकता है। विकास के इस धरातल पर भी देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विकास की गति धीमी है। ऐसे ही क्षेत्रों में से एक अपना शहरी क्षेत्र फर्रूखाबाद जिला भी है जहाँ प्राकृतिक भू-बनावट के कारण भूजल की समस्या पर्याप्त है। भू-जल स्तर निरन्तर नीचे की ओर अभिमुख है बढ़ती जनसंख्या ने वनों के स्वरूप को विखंडित कर दिया है। अतः ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी स्तर पर किये जा रहे प्रयासों के साथ एक ऐसे असंगठित क्षेत्र के साथ उन्हीं के द्वारा विकास कर सके। असंगठित क्षेत्र के विकास की उक्त भावधारा संचालित एक ऐसे ही सुन्दर स्वरूप है, जो अपने कार्यक्रमों द्वारा फर्रूखाबाद जिले के असंगठित क्षेत्र के विकास हेतु संलग्न है। संगठित क्षेत्र के विकास संबंधित कार्यालयों, अधिकारियों व स्थानीय स्तर से सम्पर्क कर प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार विधि तथा आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। आंकड़ों का संग्रहण में सर्वेक्षण, निरीक्षण, साक्षात्कार विधियाँ के साथ आरेख एवं तालिकाओं की सहायता ली जाएगीं। असंगठित क्षेत्र के उद्योगों से जुड़ी अनेकों योजनाएं तथा सूचनाएं आंकड़े, प्राप्त किए जाएंगे। फर्रूखाबाद जिले के असंगठित क्षेत्र में मूल रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के रूप में जीवन-यापन की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। जिससे क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आसानी से रोजगार तथा आय के स्थायी इन्तजाम हो सकें।

परिकल्पना:

चिंतन और जिज्ञासा शिक्षा की दो, मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इसके वैज्ञानिक आधार केन्द्र बिन्दु भी हैं परिकल्पना सामाजिक शोध की प्रथम सीढ़ी है। शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोध के कारणों समस्याओं के सामाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित रूपरेखा बना लेते हैं उसे परिकल्पना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में परीक्षण के लिए निम्न उपरिकल्पनाओं का पालन किया गया है-

1. श्रमिकों के लिये उचित शैक्षणिक योग्यता का न होना।
2. परिवार के पुरुषों द्वारा गलत रास्ते पर लिप्त होने के कारण महिलायें श्रमिक हो जाती हैं।
3. परिवार कि सामाजिक स्थिति।
4. अधिक सदस्य होने के कारण मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में कठिनाई।
5. शिक्षा, प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देश की कमी।

अध्ययन का क्षेत्र एवं शोध प्रारूप -

फर्रुखाबाद टाउनशिप फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद दो कस्बों में बंटी है , फर्रुखाबाद और फतेहगढ़, पहला तहसील का मुख्यालय है और दूसरा जिले का मुख्यालय है, दोनों 5 किमी की दूरी पर हैं। जनपद फर्रुखाबाद के उत्तर में बदायूं एवं शाहजहांपुर, पूर्व में हरदोई, दक्षिण में कन्नौज और पश्चिम में जिला एटा और मैनपुरी स्थित हैं । गंगा एवं रामगंगा पूर्व की तरफ और काली नदी दक्षिण की ओर स्थित हैं। फतेहगढ़ का नाम पुराने किले से है। फतेहगढ़ में काफी महत्व के सैन्य स्टेशन बने रहे हैं और 1802 में यह गद्दीदार प्रान्तों के लिए गवर्नर जनरल एजेंट का मुख्यालय बन गया। 1818 में यहां एक बंदूक कैरिज कारखाना स्थापित किया गया था। फर्रुखाबाद जिले में कुल 2,28,830 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल वाले 3 तहसील हैं, जिसमें 7 ब्लॉक, 603 ग्राम पंचायत, 1020 राजस्व गांव, 14 पुलिस स्टेशन, 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत (टाउन एरिया) और 1 कैंट हैं। जनपद की कुल आबादी लगभग 18.85 लाख है।

तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या:

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोघ कार्य सही अर्थो में तभी प्रभावी होते है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाये। इसके लिये यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरण द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया गया। शोध द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है-

तालिका क्रमांक-1 परिवार का स्वरूप:

क्रमांक	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	40	40
2.	एकल परिवार	60	60
3.	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 40 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है, शेष 60 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवार एकांकी है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों में आकर कार्य करती हैं जिसके कारण एकाकी परिवार ज्यादा पाये गये।

तालिका क्रमांक-2, महिला श्रमिकों के कार्य:

क्रमांक	महिला श्रमिकों के कार्य	संख्या	प्रतिशत
1.	भवन	60	60
2.	सड़क	40	40
3.	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत महिलायें भवन निर्माण के कार्य में व 40 प्रतिशत महिलायें सड़क निर्माण के कार्य में कार्यरत हैं। ज्यादातर महिलाएँ भवन निर्माण में इसलिये संलग्न रहती है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजदूरी ज्यादा मिलती है।

तालिका क्रमांक-3 महिला श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति:

क्रमांक	महिला श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति:	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	40	40
2.	अविवाहित	30	30
3.	विधवा	20	20
4.	परिव्यक्ता	10	10
5.	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिला श्रमिक विवाहित है तथा 30 प्रतिशत अविवाहित है और विधवा महिला श्रमिकों का प्रतिशत 20 है तथा परिव्यक्ता महिला श्रमिकों का प्रतिशत 10 है। अतः स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों में विवाहित महिला श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है।

तालिका क्रमांक 4 परिवार में महिला श्रमिकों का स्थान:

क्रमांक	परिवार में महिला श्रमिको का स्थान	संख्या	प्रतिशत
1.	उच्च	30	30
2.	मध्य	20	20
3.	निम्न	50	50
	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत महिला श्रमिकों का परिवार में उच्च स्थान है। 20 प्रतिशत महिला श्रमिकों का मध्यम तथा 50 प्रतिशत महिला श्रमिकों का स्थान परिवार में निम्न है।

तालिका क्रमांक-5 महिलाओं का समाज में पुरुषों के बराबरी के अधिकार के पक्ष में विचार:

क्रमांक	महिलाओं का समाज में पुरूषों के बराबरी के विचार	संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	50	50
2.	असहमत	30	30
3.	कोई जबाब नहीं	20	20
	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला श्रमिक पुरुषों के बराबरी में अपने आपको खड़ा करना चाहती है, अध्ययन में 50 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सहमति जताई शेष 50 प्रतिशत में 30 प्रतिशत असहमति जताई और शेष 20 प्रतिशत महिलाओं ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

तालिका क्रमांक 6 परिवार की आर्थिक स्थिति:

क्रमांक	परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छी	30	30
2.	खराब	50	50
3.	सामान्य	20	20
4.	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में 30 प्रतिशत अच्छी, 50 प्रतिशत खराब तथा 20 प्रतिशत सामान्य आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं अतः स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण श्रमिक बन गये।

तालिका क्रमांक-7 श्रमिक महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति:

क्रमांक	महिला श्रमिकों की वैवाहिक स्थिति:	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षित	10	10
2.	अशिक्षित	90	90
3.	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 10 प्रतिशत महिला श्रमिक ही शिक्षित हैं और 90 प्रतिशत महिला श्रमिक अशिक्षित पाई गई इससे स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों में शिक्षा की स्तर निम्न है।

तालिका क्रमांक 08 कार्य के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	कार्य के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	90	45
2.	सड़क, मकान	80	40
3.	होटल	10	5
4.	बर्तन	20	10
5.	योग	200	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि कामकाजी महिलायें भिन्न-भिन्न कार्य करके अपनी जीविका अर्जन करती हैं तथा परिवार में आय की वृद्धि करती है। जिसमें से 45 प्रतिशत महिलायें खेतों में काम करना पसंद करती है। और 40 प्रतिशत महिलायें भवन निर्माण या सड़क के कार्य करती है। तथा 5 प्रतिशत महिलायें दूसरो के घर पे खाना बनाती है। और 10 प्रतिशत महिलाये श्रमिक बर्तन तथा अन्य साफ-सफाई का कार्य करके अपने परिवार का गुजारा कर लेती है।

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष में यह देखा गया कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पूंजीपति वर्ग इस बात के लिये बहुत उत्सुक थे कि शीघ्र ही अधिक लाभ हो, जिससे उन्होंने स्त्री, पुरुष तथा असहाय बच्चों तक को काम में लगा दिया। फर्रूखाबाद जिले के असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं का अध्ययन करने से यह पाया गया कि कई महिलायें भवन निर्माण कार्य सड़क निर्माण, घरेलू कामकाजी, बीड़ी बनाने, सब्जी, फल बेचने, खेती आदि के कार्य में लगी हैं और अधिक संख्या में एकल परिवार से हैं और 10 प्रतिशत महिला शिक्षित पाई गई और परिवारिक अध्ययन से पता चला कि परिवारिक और आर्थिक स्थिति निम्न है। इन्हें परिवार में बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इन महिलाओं का 18 वर्ष से कम आयु में ही विवाह हो जाता है, जिससे इनके बच्चे भी अधिक रहते हैं। जीवन

के लिये भोजन के साथ-साथ वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इन महिला श्रमिकों की मासिक आय इतनी नहीं रहती कि जिससे कि ये अपना तथा अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से कर पायें और उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी भी दिया जाता है।

सुझाव :-

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की स्थिति काफी खराब है। अतः यह देखते हुये सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये तथा उनके शारीरिक, आर्थिक व समाजिक शोषण को रोकने के लिये काननू को सक्त होना चाहिये और महिलाओ को शिक्षित करने के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये तथा पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये तथा उन्हे उचित प्रशिक्षण तथा दिशा निर्देश दी जानी चाहिए। महिलाओं का शोषण करने वाले को दण्डित किया जाना चाहिय, ताकि उन्हें सबक मिल सके। महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिये, ताकि वे स्वावलम्बी बन सके तथा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिये कि महिला श्रमिकों को भी पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए अर्थात् समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिये।

संदर्भ :-

1. सक्सेना, एस.सी. (1992), 'श्रम समसयें एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ
2. शर्मा, डॉ. एम.के. (2010), 'भारतीय समाज में नारी, पब्लिशिंग हाउस दिल्ली
3. आहुजा राम (2000), सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली
4. गिरि, व्ही.व्ही. (1957) भारतीय मजदूरों की समस्याएँ एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई
5. 27. सक्सेना, डॉ. आर.सी. (1982) श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ
6. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (1993) भारतीय समाजिक संस्थायें, आगरा बुक स्टोर, आगरा
7. बावेल, बसन्ती लाल (1989) भारत की संवैधानिक विधि, सेन्ट्रल ला एजेन्सी, मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद
8. शर्मा डॉ. ब्रह्मदेव (1986) शिक्षा समाज और व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
9. श्रीवास्तव डॉ. राजमणिलाल (1969) मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रसाद प्रकाशन मंदिर कानपुर
10. लवानिया, एम.एम. (1989) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
11. गुप्ता मोतीलाल (1973) भारतीय सामाजिक संस्थायें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए-26/2 विद्यालय मार्ग तिलक नगर जयपुर